सोनमणि बोरा आई.ए.एस.
प्रमुख सचिव

Sonmoni Borah I.A.S.
Principal Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति विकास विभाग
अनुसूचित जाति विकास विभाग
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग
अर्द्धशा. पत्र क्र. 158/PS/2026
दिनांक 03/08/2026

विषयः– आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के छात्रावासों में रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत शिक्षकों (संलग्न) को विभागीय व्यवस्था उपलब्ध होने तक यथावत कार्य करने दिए जाने के संबंध में।

1. लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग., इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र दिनांक 24.02.2026

2. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र दिनांक 29.07.2026

प्रिय श्री कमलप्रीत,

विषयांतर्गत आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग तथा पिछड़ा वर्ग एंव अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित आवासीय सुविधा एवं सर्वांगीण विकास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न अंचलों, विशेषकर बस्तर एवं सरगुजा संभाग के दूरस्थ, दुर्गम एवं संवेदनशील क्षेत्रों में छात्रावास, आश्रम एवं अन्य आवासीय संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। विभागीय छात्रावासों का संचालन मात्र एक प्रशासनिक व्यवस्था न होकर राज्य शासन की जनजातीय एवं वंचित वर्गों के लिए समावेशी शिक्षा नीति का अभिन्न अंग है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय छात्रावास, आश्रम एवं अन्य आवासीय संस्थाएं पृथक शिक्षण संस्थान नहीं हैं, बल्कि निकटवर्ती शासकीय विद्यालयों के पूरक के रूप में संचालित होते हैं। इन छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थी समीपस्थ विद्यालयों में नियमित अध्ययन करते हैं, जबकि छात्रावास उनके आवास, सुरक्षा, अनुशासन, पोषण, शैक्षणिक अनुश्रवण एवं समग्र देखरेख की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार छात्रावासों की कार्यशीलता विद्यालयी शिक्षा की निरंतरता एवं विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए अपरिहार्य है।

विदित हो कि वर्तमान में विभाग अंतर्गत नियमित छात्रावास अधीक्षकों के 1136 पद रिक्त हैं। परिणामस्वरूप विभाग अंतर्गत संचालित छात्रावास/ आश्रम, प्रयास आवासीय विद्यालय, एकलव्य आवासीय विद्यालय, पीव्हीटीजी आवासीय विद्यालय, विशिष्ट संस्थाओं, क्रीड़ा परिसर आदि संस्थाओं के निर्बाध संचालन हेतु शिक्षा विभाग के 1856 शिक्षकों/कर्मचारियों को छात्रावास अधीक्षक एवं अन्य पदों का प्रभार सौंपा गया है। यह व्यवस्था शिक्षकों के स्थायी प्रतिनियोजन के उद्देश्य से नहीं, बल्कि विभाग में नियमित छात्रावास अधीक्षकों की उपलब्धता तक विद्यार्थियों के हितों के संरक्षण हेतु की गई एक अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था है। यह सभी संलग्न शिक्षक शैक्षणिक व्यवस्था अंतर्गत ही कार्यरत है, कोई भी गैर शिक्षकीय कार्य में संलग्न नहीं है।

एम–2–26, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) 492101
दुरभाष : 0771–2501224, 2510570, ईमेल -ps-tribal@cg.gov.in/borahs@ias.nic.in

यदि वर्तमान समय में इन शिक्षकों को छात्रावासों से कार्यमुक्त किया जाता है, तो अनेक छात्रावासों का संचालन गंभीर रूप से प्रभावित होगा तथा कई स्थानों पर छात्रावासों के बंद होने जैसी स्थिति भी निर्मित हो सकती है।

ऐसी स्थिति में दूरस्थ एवं संवेदनशील क्षेत्रों के हजारों विद्यार्थियों की आवासीय व्यवस्था, सुरक्षा, विद्यालयों में नियमित उपस्थिति, शैक्षणिक निरंतरता तथा ड्रॉप–आउट नियंत्रण के प्रयास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे, जो राज्य शासन द्वारा वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य के सर्वथा विपरीत होगा।

इस संबंध में अवगत होना चाहेंगे कि पूर्व में छात्रावास अधीक्षकों के 1136 रिक्त पदों की भर्ती हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया गया था, जिस पर वित्त विभाग द्वारा 200 पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गई है। चूंकि वर्तमान में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल के गठन की प्रक्रिया चल रही है जिसके फलस्वरूप उक्त पदों पर भर्ती में विलंब हो सकता है। साथ ही पुनः विभाग में शेष छात्रावास अधीक्षकों के रिक्त पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है।

अतः विद्यार्थियों के सर्वोपरि हित, छात्रावास, आश्रम एवं अन्य आवासीय संस्थाओं के निर्बाध संचालन तथा राज्य शासन की समावेशी शिक्षा संबंधी नीतिगत प्रतिबद्धताओं को दृष्टिगत रखते हुए अनुरोध है कि विभाग में नियमित छात्रावास अधीक्षकों की नियुक्ति पूर्ण होने तक आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग तथा पिछड़ा वर्ग एंव अल्पसंख्यक विकास विभाग के छात्रावास, आश्रम एवं अन्य आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं (प्रयास आवासीय विद्यालय, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, विशेष पिछड़ी जनजाति विद्यालय एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान) में वर्तमान में संलग्न शिक्षकों को यथावत कार्य करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। इससे विभागीय व्यवस्था प्रभावित हुए बिना दूरस्थ एवं वंचित क्षेत्रों के विद्यार्थियों की शिक्षा, सुरक्षा एवं आवासीय सुविधाओं की निरंतरता सुनिश्चित की जा सकेगी।

संलग्न– यथोपरि।

03/08/2026

(सोनमणि बोरा)

प्रति,

डॉ. कमल प्रीत सिंह
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर अटल नगर

पृ.क्रं.File No.:ESTB-102(3)/506/2026-Tribal Section नवा रायपुर अटल नगर

प्रतिलिपिः—

1. **प्रमुख सचिव**, मान. मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
2. **विशेष सहायक**, मान. मंत्रीजी, छ.ग. भाासन, आदिम जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
3. **विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी**, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
4. **निज सचिव**, प्रमुख सचिव, छ.ग. भाासन, आदिम जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
5. **आयुक्त**, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
6. **संचालक**, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग., इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Digitally signed by
Kusum Kujur
Date: 04-08-2026
17:03:19

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति विकास विभाग

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–3 प्रथम तल, अटल नगर, नवा रायपुर
फोन नम्बर- 0771-2331385, ई-मेल-cg.dpi.dir@gmail.com

क./स्था.4/2026/17 नवा रायपुर, दिनांक 24/2/26

प्रति ,

(1) समस्त संयुक्त संचालक,
शिक्षा संभाग, छत्तीसगढ़,

(2) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
छत्तीसगढ़ ,

विषयः–गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को उनके मूल पदस्थापना हेतु कार्यमुक्त किये जाने के संबंध में।

संदर्भः–छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटलनगर क.एफ 02–06/2014/20–2(तीन) नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 28.02.2024

——0——

संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहें। यह देखने में आया है कि विभाग में कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारी अपनी मूल सेवाओं को छोड़ कर अन्य कार्यालयों/संस्थाओं में गैर शिक्षकीय कार्यो में संलग्न है।

ऐसे शिक्षकों एवं कर्मचारियों को <u>तत्काल</u> अपनी मूल संस्था में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित कर कृत कार्यावाही से संचालनालय को अवगत करावें।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

<u>संलग्नः–उपरोक्तानुसार</u>

24/02/2026
उप संचालक
लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़,
नवा रायपुर, अटल नगर

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
cg.school.edu.dept@gmail.com

क्र. एफ 02–06 / 2014 / 20–2(तीन)   नवा रायपुर अटल नगर,दि.28/02/2024

प्रति,

संचालक,
लोक शिक्षण संचालनालय,
इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर

समस्त संभागायुक्त
छत्तीसगढ़

समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
छत्तीसगढ़

विषयः– गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को उनके मूल पदस्थापना हेतु कार्यमुक्त किये जाने के संबंध में ।

—00—

राज्य शासन को बहुधा यह शिकायत प्राप्त होती है कि विभाग के शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी गैर शिक्षकीय कार्य हेतु विभिन्न कार्यालयों एवं संस्थाओं में संलग्न है। गैर शिक्षकीय संलग्नीकरण से शिक्षण का कार्य प्रभावित होता है।

2/ निर्देशानुसार गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न सभी शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों का संलग्नीकरण तत्काल समाप्त किया जाकर, उन्हें उनके मूल पदस्थापना शाला में अध्यापन कार्य हेतु कार्यमुक्त किया जाये। संलग्नीकरण समाप्त किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र 07 दिवस के भीतर संचालक, लोक शिक्षण को अनिवार्यतः प्रेषित करें।

3/ यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा। इसका कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(पुलक भट्टाचार्य)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

निरंतर.........

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्द्रावती भवन, ब्लाक–डी (भू–तल) अटल नगर, जिला रायपुर (छ0ग0)

☎ - 2263708, 2262558 Fax - 2262558

Email Id - pmscstobc@gmail.com

क्र. STU/171/2026-SCHOLARSHIP नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29/07/2026

प्रति,

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
इन्द्रावती भवन, अटल नगर
नवा रायपुर, छ.ग.

विषयः– **विभाग अन्तर्गत संचालित संस्थाओं में शिक्षा विभाग (टी/ई संवर्ग) से संलग्न शिक्षकों की संशोधित जानकारी।**

संदर्भः– 1. आपका पत्र क्रमांक/स्था02 टी./2026/767 दिनांक 07.07.2026।
2. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/STU/171/2026-SCHOLARSHIP दिनांक 14.072026।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के आश्रम/छात्रावासो में छात्रावास अधीक्षक के पद के विरूद्ध कार्य कर रहे शिक्षा विभाग के संलग्न शिक्षकों/कर्मचारियों की जानकारी पूर्व में संदर्भित पत्र–2 द्वारा भेजी गई है।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत् शैक्षणिक संवर्ग के (टी–संवर्ग/ई–संवर्ग/एल.बी.–संवर्ग) के शिक्षकों/कर्मचारियों की संशोधित जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	योजना का नाम	कार्यरत् कर्मचारियों की संख्या
01	छात्रावास/आश्रम	ई–संवर्ग 480 टी–संवर्ग 1111 एल.बी. संवर्ग 95 **कुल 1686**
02	प्रयास आवासीय विद्यालय	30
03	एकलब्य आवासीय विद्यालय	32
04	विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालय (PVTG)	22
05	विशिष्ट संस्थाओं	27
06	क्रीड़ा परिसर	22
07	मण्डल संयोजक/क्षेत्र संयोजक	37
	योग	**1856**

उपरोक्त संबंध में अवगत होना चाहेगें कि,

1. उपरोक्त अधिकारी एवं कर्मचारी की मूल पदस्थ संस्था (स्कूल) की दूरी वर्तमान में कार्यरत् संस्था (छात्रावास/आश्रम एवं अन्य) से दूर हो सकती है इस कारण बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने में कठिनाई होने की संभावना है।
2. कार्यरत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में लिए जाने वाले किसी प्रकार के प्रशासनिक निर्णय, स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति विकास विभाग के आपसी सामन्जस्य से लिया जाना उचित होगा।

अतः शिक्षा विभाग (ई–संवर्ग, टी–संवर्ग एवं एल.बी. संवर्ग) से कार्यरत् अधिकारी/कर्मचारियों की सूची हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
DHARMULA RAHUL VENKAT
Date: 29-07-2026 16:40:00

(डी. राहुल वेंकट)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनु.जाति विकास
नवा रायपुर, छ0ग0

पृ0क्र0/STU/171/2026-SCHOLARSHIP/ नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29/07/2026

प्रतिलिपिः—

1. **स्टॉफ आफिसर, प्रमुख सचिव,** छ0ग0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. **कलेक्टर**, जिला ....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सही/—
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर, छ0ग0